विचार बिन्दु

नम्रता सारे सद्गुणों का दृढ़ स्तम्भ है। –कन्फ्युशन

जयपुर शहर सवाया: क्या से क्या हो गया!

जयपुर शहर नहीं, महाराजा सवाई जयसिंह का सपना था जिसे विद्याधर ने ज़मीनी हक़ीकत में तब्दील किया। इस नगर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह नगर कभी अपनी योजनाबद्ध बसावट, इमारतों के गुलाबी रंग, चौड़ी सड़कों, सुंदर हवेलियां और शालीन जीवनशैली के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। विदेशी पर्यटक इसे पिंक सिटी और भारतीय गर्व से भारत का पेरिस कहा करते थे। आज वही नगर गंदगी, अव्यवस्था, बेतरतीब कॉलोनियों और अनियंत्रित ट्रैफिक की भीड़ में कहीं खो गया है। जिस नगर की योजना 18वीं सदी में ऐसी वैज्ञानिक सोच के साथ बनाई गई थी कि जिसे यूरोप के शहरी नियोजक भी मिसाल मानते थे, आज वह अपने ही प्रशासकों, योजनाकारोंऔर बासिन्दों की लापरवाही, लालच और विफलता के कारण बेनूर हो रहा है। महाराजा सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को जब जयपुर की नींव रखी, तब इतिहास के झंझावात के काल में भी इस नगर को विज्ञान, कला और अनुशासन का संगम बनाने की कोशिश की थी। वास्तुशास्त्र और खगोलशास्त्र के सिद्धांतों पर बसाया गया यह नगर भारत का पहला नियोजित शहर था। चौड़ी सड़कों, समकोणीय गलियों, संगमरमर के आंगन वाले मंदिरों, व्यवस्थित मौहल्लों और बाजारों ने इस शहर को एक अद्भुत पहचान दी। कभी जयपुर का हर चौक, हर रास्ता और हर दरवाज़ा एक अर्थ रखता था। शहर का जीवन अनुशासित था, और नागरिकों में स्वच्छता और सभ्यता की एक लय थी। लेकिन आज यह लय टूटी हुई है – शहर का सौंदर्य, उसकी आत्मा और उसकी पहचान राजनीति और प्रशासनिक छल-कपट की आंधी में खो गई है। कोई 48 साल पहले जनता पार्टी सरकार ने जबरदस्त धूम-धाम के साथ जयपुर के स्थापना दिवस की द्विशती मनाई थी। तभी से प्रति वर्ष इस दिन उत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई जो अब भी जारी है। इन वर्षों में बहुत कुछ बदल गया और अब यह सालाना उत्सव भी रस्म अदायगी बन कर रह गया है। मगर नगर का स्थापना दिवस आता है तब इस नगर का इतिहास और वर्तमान एक साथ खड़े होकर सबसे सवाल करते हैं, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं है।

जयपुर का निर्माण केवल इमारतों का नहीं, बल्कि एक सोच का परिणाम था। सवाई जयसिंह ने खगोलशास्त्रियों, वास्तुविदों और इंजीनियरों की सलाह लेकर एक ऐसी नगरी की कल्पना की थी, जहां हर सड़क, हर चौक और हर मोहल्ला एक गणितीय संतुलन का ही नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का प्रतीक हो। नौ खंडों में विभाजित नगर का ढांचा ब्रह्मांड के नवग्रहों की तरह योजनाबद्ध था, मानो धरती पर आकाश का प्रतिबिंब उतारा गया हो। वह जयपुर, जहां सड़कें सीधी और चौड़ी थीं, जिस पर गाड़ियां खींचने वाले चलते पशुओं की लीद तुरंत हटा लेने के लिए कर्मचारी लगे रहते थे, जहां जल निकासी की विशाल अनोखी व्यवस्था थी, जहां भवनों की ऊँचाई, रंग और स्वरूप एकरूप थे, वह नगर आज अपनी बढ़ी हुई आबादी में घुट रहा है। समय-समय पर सरकार द्वारा किए गए लीपा-पोती के फेसलिफ्ट प्रोजेक्ट केवल ऊपरी चमक प्रदान करते हैं, लेकिन भीतर की सड़न जस की तस बनी रहती है। अवैध निर्माण ऐतिहासिक इमारतों को निगल रहे हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का तमगा अब एक बोझ जैसा प्रतीत होता है। हवामहल से बड़ी चौपड़ तक कहने को हेरिटेज ज़ोन बना दिया गया है जो जाम, तारों के जाल, अवैध ठेलों और बेढंगी होर्डिंग्स से पटा हुआ है। जयपुर आज 'स्मार्ट सिटी' कहलाने की दौड़ में तो शामिल है, पर वास्तविकता यह है कि शहर अनियंत्रित और बेतरतीब विस्तार का शिकार हो चुका है। जयपुर का फैलाव योजनाबद्ध नहीं, विस्फोटक रहा है। शहर के चारों ओर – जगतपुरा, वैशाली नगर, कालवाड़ रोड, अजमेर बाईपास, सांगानेर बाइपास – हर जगह कॉलोनियां पसर गई हैं, जिनमें न सड़कें ठीक हैं, न सीवरेज, न जल निकासी। यहां तक कि विशेष रूप से विकसित झालाना संस्थानिक क्षेत्र में भी सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। भू-माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत ने इस शहर की मूल आयोजना को ही नष्ट कर दिया है। अदालतों के आदेशों की अनदेखी करते हुए विधि सम्मत नगर-नियोजन को दरकिनार करने में शासन में बैठे राजनेताओं को कोई गुरेज नहीं रहा। जयपुर की जनसंख्या पिछले चार दशकों में पांच गुना बढ़ चुकी है, लेकिन उसकी बुनियादी सुविधाएं लगभग उसी स्तर पर अटकी हैं। जयपुर नगर निगम का हेरिटेज और ठोटर में विभाजन प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि भ्रमजाल का नया रूप बन गया। जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमिका नगर नियोजन से अधिक सरकारी अमले का पेट भरने की रह गई है। मास्टर प्लान बने, पर लागू नहीं हुए। अवैध कॉलोनियां नियमित कर दी गईं, हरे क्षेत्र पक्के हो गए, और अतिक्रमण ने हर दिशा में शहर की सांसें रोक दीं। कोई 63 वर्ष पहले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को सलाह दी थी कि जयपुर को बड़ा शहर होने की बीमारी से बचाइये। यह सुन्दर शहर हमारी धरोहर है। मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। पर्यावरणीय दृष्टि से स्थिति और भी भयावह है। अरावली की पहाड़ियां जम कर कटी हैं। खनन माफियाओं ने नगर के पास की पहाड़ियों को प्रशासन की नाक के नीचे बुरी तरह छीला है। नाहरगढ़ और गलता के जंगल विकास की भेंट चढ़ चुके हैं जहां अमीर लोग अपने आशियाने बना रहे हैं और मानसागर झील फिर से प्रदूषण की गिरफ्त में है।

जयपुर को फिर से भारत का पेरिस बनाना असंभव नहीं है, पर इसके लिए कठोर राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिक जिम्मेदारी दोनों सिरे से नदारद है। जन प्रतिनिधियों को तय करना होगा कि जयपुर को स्मार्ट दिखाना भर हैं या वास्तव में उसे जीवंत, सुंदर और व्यवस्थित बनाना हैं। कहते हैं आशा अमर धन। आशा बनी हुई है। जरूरत है एक स्पष्ट दृष्टि की - एक ऐसी दृष्टि जो स्वार्थ नहीं, स्थायित्व देखे। कठोर शहरी अनुशासन हो, अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर समझौता नहीं, सख्ती हो।

जयपुर शहर अपनी विरासत से जितना दूर जा रहा है, उतना ही खोखला होता जा रहा है। पारंपरिक कारीगर और बुनकर धीरे-धीरे गायब हो रहे हैं। जयपुर की आत्मा – उसका धीमा, शालीन और कलात्मक चरित्र – अब शॉपिंग मॉल्स और बिल्डरों के शोर में खो गया है। किसे दोष दिया जाय? प्रशासन को दोष देना आसान है, पर अधूरा है। अव्यवस्था में नागरिकों की लापरवाही भी उतनी ही जिम्मेदार है। जयपुर की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण केवल प्रशासन ही नहीं, बल्कि यहां के नागरिक भी हैं उतने ही हैं जो चाहते हैं उनका काम कोई और करे। सड़कों पर फैला कचरा, प्लास्टिक की थैलियां, अवैध पार्किंग, फुटपाथों पर दुकानें – ये सब जनता की ही देन हैं। सड़कों पर कचरा फेंकना, यातायात नियम तोड़ना, अवैध निर्माण करवाना, और हर सरकारी योजना में अपने स्वार्थ ढूंढना आम बात हो गई है। जब जनता ही लापरवाह हो जाए, तो कोई भी शहर अपनी आत्मा कैसे बचा सकता है। यह विडंबना है कि जिस शहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया, उसके स्थानीय लोग उसकी धरोहरों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। हवामहल, आमेर, जंतर-मंतर – ये सब अब सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट रह गए हैं, भावनाओं का हिस्सा नहीं। लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता इस स्थिति को और भी भयावह बना देती है। योजनाएं बनती हैं, बजट पास होता है, उद्घाटन होते हैं, पर ज़मीन पर कुछ नहीं दिखाता। जवाबदेही शून्य है, और विकास केवल पोस्टर पर दिखता है। जयपुर का ट्रैफिक आज किसी बुरे सपने से कम नहीं। शहर के प्रमुख मार्ग – जेएलएन मार्ग, टोंक रोड, अजमेर रोड, सिरसी रोड – हर दिन जाम से जूझते हैं। प्रत्येक ट्राफिक सिग्नल से गुजरने में तीन-तीन बार तक ट्राफिक लाइट के बदलने को झेलना पड़ता है। फुटपाथ पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, और वाहनों की अनियंत्रित बढ़ोतरी ने शहर को एक बड़ा गैरेज बना दिया है। कॉलोनियों में सड़क के दोनों ओर घरों के बाहर चार पहिया वाहनों की पार्किंग के चलते बीच में इतनी ही जगह बचती है कि केवल एक गाड़ी निकाल सके। दिल्ली और मुंबई के बाद जयपुर का प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ रहा है। धूल, धुआं और शोर अब इस शहर के स्थायी साथी बन चुके हैं। जिस शहर की पहचान कभी स्वच्छ और हवादार के रूप में थी, वह अब साँस लेने लायक भी नहीं रह गया है। जयपुर की असली पहचान उसकी संस्कृति थी – संगीत, हस्तशिल्प, पारंपरिक वास्तुकला, और लोक जीवन। लेकिन आज यह संस्कृति इतिहास बन चुकी है। केवल कुलीनों के मनोरंजन के लिए आरआईसी, जेकेके या विलासिता वाले बड़े होटलों में बाज़ार की ताकतें भोंडे तरीके से इन्हें प्रस्तुत कर रही है।

जयपुर को फिर से भारत का पेरिस बनाना असंभव नहीं है, पर इसके लिए कठोर राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिक जिम्मेदारी दोनों सिरे से नदारद है। जन प्रतिनिधियों को तय करना होगा कि जयपुर को स्मार्ट दिखाना भर हैं या वास्तव में उसे जीवंत, सुंदर और व्यवस्थित बनाना हैं। कहते हैं आशा अमर धन। आशा बनी हुई है। जरूरत है एक स्पष्ट दृष्टि की – एक ऐसी दृष्टि जो स्वार्थ नहीं, स्थायित्व देखे। कठोर शहरी अनुशासन हो, अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर समझौता नहीं, सख्ती हो। विरासत संरक्षण को केवल रंगाई-पुताई तक सीमित न रहे, जल निकासी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया जाए। यातायात सुधार के लिए मेट्रो, बस, साइकिल और पैदल मार्गों का एकीकृत तंत्र विकसित करना होगा। कचरा प्रबंधन में जनता की भागीदारी हो। और सबसे ज़रूरी – नागरिक जागरूकता। जब तक जयपुर का हर निवासी अपने शहर को अपना परिवार नहीं मानेगा, तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए जयपुर का स्थापना दिवस उत्सव का नहीं, आत्ममंथन का अवसर होना चाहिए। जयपुर को फिर गुलाबी नगर के रूप में स्थापित करना है – रंग से नहीं, सोच से। यह तभी संभव है जब सरकार सजावटी प्रचार के बजाय सुधार पर ध्यान दे, और नागरिक शिकायत के बजाय सहभागिता को अपनाएं। सभी मन से यह करें तब यह शहर फिर से वह बन सकेगा, जिसकी दुनिया दीवानी थी।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रीय गीत सम्मिलित करें

सूर्यप्रताप सिंह राजावत

संविधान सभा में बहस के दौरान डॉ. अंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता के बारे में कहा था कि किसी भी देश के नागरिकों में संवैधानिक नैतिकता का समावेश होना आवश्यक है। वास्तव में, संवैधानिक नैतिकता मौलिक कर्तव्यों के सिद्धांत से कहीं अधिक है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित किया जा सकता है। दूसरी और संवैधानिक नैतिकता संविधान में आस्था को समाहित करती है। संवैधानिक नैतिकता का एक अन्य पहलू विधि के शासन के प्रति सम्मान है। भारत में संसद और राज्य विधानमंडलों जैसे विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने में विधि के शासन के प्रति सम्मान परिलक्षित होता है।

इस पृष्ठभूमि में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि भारत के नागरिक को राष्ट्रगान- जन गण मन गाने में गर्व महसूस होता है। भारत के संविधान के भाग -क में मौलिक कर्तव्यों की भावना को कायम रखते हुए, अनुच्छेद 51 ए (ए) में भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना बताया गया है।

भारत का नागरिक कानून का पालन करने वाली नागरिकता का अनुभव करता है क्योंकि राष्ट्रगान के गायन का सम्मान करने को राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। धारा 3 में तीन साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। दुबारा अपमान करते पाए जाने पर पर कम से कम एक साल की कैद का प्रावधान है। अपराध संज्ञेय होने के कारण, राष्ट्रगान के अपमान के लिए प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।

लेकिन जब बात राष्ट्रगीत – वंदे मातरम के गायन की आती है तो भारत के नागरिकों के एक वर्ग को, आजादी के सात दशक बाद भी, राष्ट्रगीत गाने के लिए पर्याप्त साहस जुटाना पड़ता है। वह राष्ट्रगीत के गायन पर संवैधानिक नैतिकता की मुहर लगाने में विफल रहता है। आज भारत के विद्यमान कानून के अनुसार, राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के बराबर स्थान और सम्मान न तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में और न ही केंद्रीय अधिनियम 1971 में दिया गया है। अधिनियम 1971 का शीर्षक स्वयं स्पष्ट है। यह बताता है कि यह राष्ट्रीय सम्मान की संस्थाओं के सम्मान को बनाए रखने का इरादा रखता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रगान का उल्लेख करता है, लेकिन अधिनियम में राष्ट्रगीत का उल्लेख करने में विफल रहता है। भारत के कानूनों में ऐसी व्यवस्था संविधान सभा के प्रस्ताव के विरुद्ध है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्रप्रसाद ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया, जिसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर अंतिम निर्णय के रूप में भी अपनाया गया:– ...शब्दों और संगीत से बनी रचना जिसे जन गण के नाम से जाना जाता है भारत का राष्ट्रगान जनगनमन है, जिसमें आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, तथा वन्दे मातरम् गीत भी भारत का राष्ट्रगान है। मातरम, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जन गण के समान सम्मान दिया जाएगा। मन और उसके साथ समान दर्जा होगा।अत: 1976 में बयालीसवें संशोधन से भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51क (क) में राष्ट्रगीत के बिना अधूरे हैं। अब समय आ गया है कि संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रगीत को शामिल किया जाए। साथ ही, 1971 के अधिनियम में कुछ संशोधन करके राष्ट्रगीत के सम्मान को बनाए रखने के लिए वैधानिक संरक्षण भी प्रदान किया जाए। राष्ट्रगीत के गायन के बारे में सही धारणा बनाने की सख़्त ज़रूरत है। ऐसे उपाय हमारे राष्ट्रीय गीत – वंदे मातरम – की वैधता, संवैधानिकता और कानूनी स्वीकारिता पर मुहर लगाएँगे।

मौलिक कर्तव्यों और अधिनियम 1971 में राष्ट्रगीत को शामिल करने से देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिलेगा। यह वंदे मातरम की 150 वीं वर्षगांठ मनाने के तरीकों में से एक हो सकता है। यह पूरे देश में, वर्तमान पीढ़ी में, विशेषकर युवाओं में, राष्ट्रवाद का संदेश देगा। यह भारत के सभी राजनीतिक दलों के लिए एक कसौटी का काम करेगा कि राष्ट्रगीत के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल क्षुद्र राजनीति से ऊपर हैं। राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समान उचित स्थान और सम्मान मिलना चाहिए, जैसा कि संविधान सभा ने तय किया था। यह भारत के राष्ट्रीय गीत के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो बलिदान, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है।

–सूर्यप्रताप सिंह राजावत,
अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय

ओलिगार्क: वैश्विक सत्ता पर धनी उद्यमियों के नियंत्रण की छाया

सुरेंद्रसिंह शेखावत

समकालीन विश्व के पूंजीवादी अर्थतंत्र ने पूंजी का केंद्रीयकरण तेज कर दिया है । पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी एक पिरामिड की तरह कुछेक हाथों में सिमटती जाती है। ऑक्सफैम की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क, जैफ बेजॉस, मार्क जुकरबर्ग, जेनसन हुआंग और बर्नार्ड आर्नोल्ट अगले दशक में ये पांच नए ट्रिलियनेयर बन सकते हैं । जिसमें धन की ताकत इन्हें सरकारों से ऊपर कर देगी । इन पर नियंत्रण मुश्किल होगा । इन धनिक लोगों की संभावित ताकत और महत्वकांक्षा ने वैश्विक विमर्श को झकझोर दिया है। यह चेतावनी कोई साधारण आर्थिक पूर्वानुमान नहीं; यह उस भविष्य की झलक है जहाँ अकूत धन कुछ व्यक्तियों को राष्ट्र-राज्यों से ऊपर उठा देगा। विशेष रूप से एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और उसकी सहयोगी स्टारलिंक पर निर्भरता इस खतरे का जीवंत उदाहरण बन रही है। हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ अंतरिक्ष-आधारित संचार और अर्थव्यवस्था कुछ मुट्ठी भर उद्यमियों के हाथों में सिमट जाएगी ।

धन की असमानता और ट्रिलियनेयर युग की दहलीज

विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्टें बताती हैं कि अगले दशक में पाँच व्यक्ति ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति पार कर सकते हैं। मस्क की संपत्ति मुख्यत: स्पेसएक्स, टेस्ला और स्टारलिंक से आती है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, 2024 में मस्क की नेटवर्थ 400 बिलियन डॉलर के पार पहुँच चुकी है। यह धन केवल व्यक्तिगत समृद्धि नहीं; यह वैश्विक बुनियादी ढाँचे पर नियंत्रण का साधन बन रहा है।

स्टारलिंक-स्पेसएक्स का उपग्रह इंटरनेट नेटवर्क-वर्तमान में 6750 से अधिक उपग्रहों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। वर्ष 2022 से व्यावसायिक सेवाएँ शुरू होने के बाद यह यूक्रेन युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और दूरस्थ क्षेत्रों में संचार का बैकबोन बन चुका है। लेकिन यही निर्भरता खतरे की जड़ है। यदि मस्क कल निर्णय लें कि किसी देश को सेवा बंद करनी है, तो उसके नतीजे कितने खतरनाक होंगे? यूक्रेन में रूसी आक्रमण के दौरान स्टारलिंक ने जीवनरेखा प्रदान की, किंतु मस्क ने स्वयं ट्वीट कर कहा था कि वे लागत वहन नहीं कर सकते। अंतत: अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। यह घटना दर्शाती है कि निजी हाथों में सार्वजनिक उपयोगिता का नियंत्रण कितना जोखिमपूर्ण है।

अंतरिक्ष में निजी एकाधिकार: लोकतंत्र पर खतरा

अंतरिक्ष संधि 1967 के तहत कोई देश अंतरिक्ष पर संप्रभुता स्थापित नहीं कर सकता, किंतु निजी कंपनियाँ उपग्रह प्रक्षेपण, डेटा संग्रह और संचार में वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। स्पेसएक्स ने 2024 तक 44 फीसदी वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण किए। फाल्कन-9 रॉकेट की पुनर्प्रयोगिता ने लागत को 90 फीसदी तक कम कर दिया, जिससे प्रतिस्पर्धा लगभग असंभव हो गई। चीन की केसिक और यूरोपीय एरियनस्पेस भी पीछे छूट रहे हैं।

यह एकाधिकार केवल तकनीकी नहीं है, यह भू-राजनीतिक भी है। स्टारलिंक की 250 मिलियन डॉलर की मासिक लागत मस्क को सरकारी अनुबंधों पर निर्भर बनाती है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का स्टारशील्ड प्रोजेक्ट स्पेसएक्स को सैन्य उपग्रह सेवाएँ प्रदान करने का ठेका देता है। क्या यह निजी कंपनी अब अमेरिकी विदेश नीति का विस्तार बन गई है? यदि मस्क और अमेरिकी सरकार में मतभेद हुआ तो वैश्विक संचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह गंभीर विषय है ।

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह खतरा दोगुना है। हमारी डिजिटल इंडिया पहल इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टारलिंक एकमात्र विकल्प बन सकता है, किंतु इसके लिए ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलोजी को मस्क की शर्तें माननी पड़ेंगी। इस तरह हम अपनी संप्रभुता को निजी उपग्रह नक्षत्र के हाथों सौंप रहे हैं।

नियंत्रण की चुनौतियाँ: कानूनी शून्यता

विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रिलियनेयर्स पर नियंत्रण असंभव नहीं, किंतु वर्तमान ढाँचे अपर्याप्त हैं। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) उपग्रह कक्षाओं का आवंटन करता है, किंतु निजी कंपनियों की गतिविधियों पर उसका सीमित नियंत्रण है। अमेरिका का एफसीसी स्टारलिंक को लाइसेंस देता है, किंतु मस्क की कंपनियाँ टैक्स सेविंग हैवन डेलावेयर में पंजीकृत हैं ।

यूरोपीय संघ जीडीपीआर जैसे डेटा कानून लागू करना चाहता है, किंतु स्टारलिंक उपग्रह पृथ्वी से 550 किमी ऊपर, किसी देश की सीमा में नहीं है। यदि मस्क डेटा साझा करने से इंकार करें, तो उन पर नियंत्रण का कोई प्रभावी कानून नहीं है। 2023 में ब्राजील सरकार ने स्टारलिंक को अवैध खनन क्षेत्रों में सेवा बंद करने को कहा तो मस्क ने चुनौती दी। यह घटना दर्शाती है कि धन की ताकत कितनी आसानी से कानून को चुनौती दे सकती है।

नैतिक और सामाजिक आयाम

धन की यह सांद्रता सामाजिक असमानता को बढ़ाती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि विश्व की एक फीसदी से भी कम आबादी 45 फीसदी संपत्ति रखती है। अंतरिक्ष में यह असमानता और गहरी होगी। स्टारलिंक की सेवा बहुत महँगी है, गरीब देश इसे वहन नहीं कर पाएँगे, जिससे डिजिटल डिवाइड बढ़ेगा।

साथ ही, पर्यावरणीय खतरे हैं। 6 हजार से ज्यादा उपग्रहों से अंतरिक्ष कक्षा में कचरा बढ़ रहा है। केस्लर सिंड्रोम जिसमें टकराव से उपग्रह श्रृंखला नष्ट होने की भी आशंका है। मस्क की मेगा-कॉन्स्टेलेशन योजना 42 हजार उपग्रहों की है। क्या यह पृथ्वी के लिए संभावित गम्भीर खतरा नहीं है?

वैश्विक शासन का पुनर्परिभाषण

इस चुनौती का समाधान केवल राष्ट्रीय नहीं; वैश्विक है। संयुक्त राष्ट्र को अंतरिक्ष शासन के लिए नया ढाँचा बनाना होगा। ट्रिलिनियर्स पर वार्षिक संपत्ति कर लगाकर अंतरिक्ष सफाई और विकासशील देशों के लिए ब्रॉडबैंड जैसे खर्च किए जा सकते है । इंटरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन यूनियन, फैडरल कम्युनिकेशन कमीशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जैसे निकायों का संयुक्त प्राधिकरण मिलकर नियामक आयोग बनाए, जो उपग्रह लाइसेंस रद्द कर सके। सभी उपग्रह डेटा को स्थानीय सर्वरों पर संग्रहीत करना अनिवार्य हो तथा वैकल्पिक नेटवर्क के रूप में भारत-वन वेब, चीन-जेडब्लू, यूरोपियन यूनियन का आइरिश जैसे प्रोजेक्ट को तेज करना होगा ।

भारत के लिए यह अवसर है। हमारी पीएसएलवी और जीएसएलवी क्षमता बढ़ाकर, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से स्वतंत्र उपग्रह नक्षत्र विकसित कर सकते हैं। गगनयान और चंद्रयान की सफलता दर्शाती है कि हम सक्षम हैं।

निष्कर्ष: संतुलन की अनिवार्यता

एलन मस्क जैसे उद्यमी नवप्रवर्तन के प्रतीक हैं। स्टारलिंक ने लाखों लोगों को इंटरनेट दिया, स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता किया। किंतु असीमित शक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है। रोमन इतिहास में सीज़र की तानाशाही धन और सैन्य शक्ति से उपजी थी; क्या हम इक्कीसवीं सदी में अंतरिक्ष-सीज़र देख रहे हैं?

समय की माँग है कि हम निर्भरता को विविधता में बदलें, निजी नवाचार को सार्वजनिक जवाबदेही के साथ जोड़ें। यदि हम असफल रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी का आकाश कुछ लोगों की निजी संपत्ति बन जाएगा। यह केवल तकनीकी नहीं; यह सभ्यता का प्रश्न है। यह समकालीन विश्व को तय करना है कि हम अंतरिक्ष को मानवता की साझा विरासत बनाए ना कि कुछ ट्रिलियनेयर्स का निजी खेल मैदान।

–सुरेंद्रसिंह शेखावत, बीकानेर
(लेखक राजनीतिक कार्यकर्ता और स्वतंत्र टिप्पणीकार है)

श्रीगंगानगर से वंदे भारत व अन्य हाई स्पीड ट्रेनों का जल्द होगा संचालन

रेलवे बोर्ड को नए प्लेटफॉर्म यार्ड का प्रस्ताव भेजा, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू

श्रीगंगानगर, (निसं)। श्रीगंगानगर से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और अन्य हाई स्पीड ट्रेनें चलाने का काम जल्द ही शुरू होगा। रेलवे ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है। जल्दी की ट्रेनें शुरु हो सकती है।

- **कब्जाधारियों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी, बीकानेर मंडल के अधिकारी कई बार मौका मुआयना कर चुके हैं, सूत्रों के अनुसार 2026 तक वंदे भारत ट्रेन श्रीगंगानगर से चल सकती है**

जयपुर रेलवे स्टेशन की तर्ज पर श्रीगंगानगर में अलग से नया प्लेटफॉर्म यार्ड बनाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। बोर्ड से मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है, जिसके बाद काम शुरू हो जाएगा। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर मौजूदा सिक लाइन वाले इलाके में 4 नए प्लेटफॉर्म के साथ पूरा यार्ड विकसित किया जाएगा। हाई स्पीड ट्रेनों की मेंटेनेंस के लिए 2 नई वॉशिंग लाइनें बनेंगी। इसके लिए कम से कम 72 फीट चौड़ी जमीन चाहिए, जबकि अभी करणी मार्ग के साथ सिर्फ 60 फीट जगह उपलब्ध है।

रेलवे ने अतिरिक्त 12 फीट जमीन खाली कराने के लिए करणी मार्ग के किनारे बने अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कब्जाधारियों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस भी दिए गए हैं। वहीं, बीकानेर मंडल के अधिकारी कई बार मौका मुआयना कर चुके हैं। बीएसएफ कैंपस की तरफ प्रस्तावित सेकंड एंट्री को स्थगित कर दिया गया है। नया यार्ड बनने के बाद ही नए सिरे से सेकंड एंट्री की लोकेशन तय होगी।

पूर्व जेडआरयुसीसी सदस्य भीम शर्मा ने बताया कि रेलवे बोर्ड को श्रीगंगानगर में अतिरिक्त रेलवे यार्ड बनाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। प्रस्ताव पास होते ही श्रीगंगानगर की रेल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये शहरवासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। वहीं, सूत्रों के अनुसार 2026 तक वंदे भारत की सिटी श्रीगंगानगर में बज सकती है।

दिन-रात के तापमान में 18 डिग्री का अंतर

श्रीगंगानगर, (निसं)। नवंबर के महीने में बार-बार मौसम बदल रहा है। दिन में तेज धूप तो रात में ठंड होती है। जिले में मंगलवार को बादलों की आंख मिचौली का खेल जारी है। कभी बादल छा जाते हैं, तो कभी आसमान साफ हो जाता है। जिले में पिछले 3 हफ्तों से दिन का पारा 29 से 31 डिग्री के बीच बना हुआ है। मंगलवार सुबह कृषि अनुसंधान केंद्र, श्रीगंगानगर पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री रिकार्ड किया गया। सोमवार को भी न्यूनतम तापमान ठीक 11 डिग्री ही रहा था, जबकि दिन का पारा 31 डिग्री तक चढ़ गया। रविवार को तो दिन में 30.5 डिग्री गर्मी के बाद रात 10.7 डिग्री तक लुढ़क गया। मतलब दिन में पसीना और रात में कंबल ओढ़ने की नौबत आ रही है। किसानों के अनुसार दिन में तेज धूप के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 19 नवम्बर, 2025

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, चतुरदशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, स्वाती नक्षत्र प्रात: 7:59 तक, सौभाग्य योग प्रात: 9:00 तक, शकुनि करण प्रात: 9:44 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 4:14 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-तुला, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज पितृकार्य अमावस्या, श्री बाला जयन्ती, इन्दिरा गांधी जयन्ती, एकता दिवस है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:33 तक, शुभ 10:52 से 12:12 तक, चर 2:52 से 4:11 तक, लाभ 4:11 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:53, सूर्यास्त 5:31 तक।

मेष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

वृष
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कर्क
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

सिंह
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों-परिजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

तुला
व्यावसायि